UPME010176222024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी– ओम प्रकाश–IX, (एच०जे०एस०)

J.O. Code UP–2675

दाण्डिक वाद संख्या–98/1584/2025

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति पंकज कुमार धीमान

मु०अ०सं०–02/2024, परि० मु०अ०सं०–10/2024
अन्तर्गत धारा–7, 13(1)(बी) सपठित धारा–13(2) भ्र०नि०अधि० 1988
यथासंशोधित अधिनियम 2018
थाना–सिविल लाईन, जिला–मुजफ्फरनगर, परि० थाना–ए०सी०ओ०, सहारनपुर।

07.05.2025

1. पत्रावली अभियुक्त पंकज कुमार धीमान की ओर से अन्तर्गत धारा–227 दं०प्र०सं० में प्रस्तुत किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र 38 क पर आदेश के लिए नियत है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. अभियुक्त पंकज कुमार धीमान की ओर से अपने प्रार्थना पत्र 38 ख में उन्मोचन के संबंध में इन आधारों का उल्लेख किया गया है कि उसे झूठा व निराधार फंसाया गया है और विवेचक द्वारा कथित शिकायतकर्ता से मिलकर बिना कोई स्पष्ट साक्ष्य के आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्त दिनांक 11.09.2024 को तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर के गांव कसौली में लेखपाल के पद पर कार्यरत था और उसके द्वारा अपने सरकारी दायित्व व पद का ईमानदारी से पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। गांव कसौली का पूर्व प्रधान चन्द्रबोस पुत्र चरण सिंह कथित शिकायतकर्ता बहुत ही दबंग व शातिर किस्म का व्यक्ति है। उसके द्वारा ग्राम समाज की जमीन का बैनामा करके कब्जा किया गया था। जिसकी शिकायत वर्तमान प्रधान महीपाल सिंह द्वारा की गयी थी। उस प्रकरण की जांच आख्या बतौर लेखपाल अभियुक्त से मांगी गयी थी। अभियुक्त द्वारा स्थल का निरीक्षण करके उक्त चन्द्रबोस व उसके साथियों का उक्त जमीन पर कब्जा होना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में उक्त चन्द्रबोस, देवेन्द्र व सुदेश व सुरेन्द्र के विरूद्ध दिनांक 23.11.2023 को उक्त वाद के गड्ढो की भूमि में से नाम निरस्त किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की थी। जिसके आधार पर उक्त लोगों के नाम सरकारी भूमि में से हटाये गये थे। जिससे सम्बन्धित वाद अतिरिक्त स्थायी न्यायालय मुजफ्फरनगर में विचाराधीन है। उक्त कारण से भी शिकायतकर्ता अभियुक्त से व्यक्तिगत रंजिश रखता है। कथित शिकायतकर्ता चन्द्रबोस जो अवैध कार्य करने का आदि है। उसके द्वारा एक सम्पत्ति खरीदने में स्टाम्प की चोरी की गयी थी, जिसकी मौके की जांच बतौर लेखपाल अभियुक्त को दी गयी थी। अभियुक्त द्वारा नियमानुसार स्थल की जांच करके दिनांक 13.01.2024 को जांच आख्या राजस्व निरीक्षक के द्वारा तहसीलदार सदर मुजफ्फरनगर को प्रेषित की थी। अभियुक्त द्वारा की गयी जांच आख्या के उपरान्त न्यायालय द्वारा उक्त चन्द्रबोस के विरूद्ध 4,22,200/–रूपये का स्टाम्प शुल्क 4,22,200 /–रूपये व 83,450 रूपये का निबन्धक शुल्क व प्रतिकात्मक अर्थदण्ड के रूप में 5,000/– रूपये जमा करने के दिनांक 03.06.2024 को आदेश पारित किये थे, जिस कारण उक्त

चन्द्रबोस को 5,11,650/– रूपये अधिक जमा करने थे। अन्य स्टाम्प चोरी के मामले में चन्द्रबोस की शिकायत गांव कसौली के ही ब्रजपाल द्वारा की गयी थी। जिसकी जांच आख्या भी बतौर लेखपाल अभियुक्त द्वारा ही राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार सदर मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की थी। उक्त प्रकरण में भी कुल 6,19,210/–रूपये उक्त चन्द्रबोस को जमा करने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2024 को आदेश पारित किया था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्थल की जांच आख्या के आधार पर कथित शिकायतकर्ता को 12,30,860/–रूपये अधिक जमा करने थे। जिस कारण उक्त चन्द्रबोस अभियुक्त से व्यक्तिगत रंजिश मानता था और इसी कारण एक षडयंत्र करके अभियुक्त को पुलिस से मिलकर झूठा फंसाया गया है। कथित शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम कसौली के इन्द्रपाल द्वारा खाद के गडडो में निर्माण सम्बन्धी कोई शिकायत उपजिलाधिकारी को करना बताते हुए एक प्रार्थना पत्र देना बताया है। कथित चन्द्रबोस द्वारा कथित इन्द्रपाल के विरूद्ध की शिकायत का कोई प्रार्थना पत्र अभियुक्त के अधीन नहीं था और ना ही ऐसा कोई भी साक्ष्य विवेचक द्वारा विवेचना में शामिल किया है कि कथित शिकायतकर्ता चन्द्रबोस का कोई प्रार्थना पत्र अभियुक्त को किस तिथि को प्राप्त कराया गया है क्योंकि कभी भी अभियुक्त से कथित शिकायतकर्ता के द्वारा दिये गये कथित प्रार्थना पत्र पर कोई आख्या नहीं मांगी गयी और कथित रूप से दर्शाये गये प्रार्थना पत्र पर उपजिलाधिकारी द्वारा पत्र दिनांकित 05.09.2024 पर राजस्व निरीक्षक/लेखपाल व एस०एच०ओ०, चरथावल को जांचकर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा है और उक्त पत्र कभी भी राजस्व निरीक्षक पर अन्य अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य विवेचना के विवेचक द्वारा नहीं लिया गया है इसलिये कथित रूप से किसी अवैध धन को मांगने या प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है और कथित चन्द्रबोस के आचरण से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध सत्य जांच आख्या प्रस्तुत कर चुका है जिससे वह अभियुक्त से वह व्यक्तिगत रंजिश मानता है। कथित शिकायतकर्ता द्वारा जिस इन्द्रपाल के विरूद्ध कथित रूप से प्रार्थना पत्र देना बताया है उक्त जगह पर इन्द्रपाल का मकान पूर्व से ही बना था और वह उसमें अभियुक्त द्वारा गांव में जानकारी मिलने पर दिनांक 04.09.2024 को ही कथित इन्द्रपाल को गांव के राजेन्द्र, राजकुमार व कुंवरपाल की मौजूदगी में ही कथित इन्द्रपाल को किसी भी प्रकार का निर्माण न करने को निर्देशित कर दिया गया था जबकि कथित शिकायतकर्ता द्वारा एस०डी०एम० को दिनांक 05.09.2024 को प्रार्थना पत्र देना बताया है। कथित विवचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उक्त शिकायतकर्ता से मिलकर की है। उसके कार्यालय से उठाकर समस्त कार्यवाही थाने पर ही बैठकर की है और जबकि अभियुक्त का कार्यालय सरकारी कैम्पस में मौजूद है और सार्वजनिक स्थान है और जनता के लोग आते–जाते रहते हैं और वकीलो के चैम्बर हैं लेकिन किसी भी जनता के व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है और कथित रूप से 11:40 बजे झूठी गिरफ्तारी दर्शाकर थानास्थल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद उसके भाई को 12:52 बजे कथित गिरफ्तारी की सूचना देना झूठी कहानी को संदिग्ध साबित करता है। कथित विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना में तथ्यात्मक साक्ष्य को व व्यक्तिगत रंजिश को शामिल नहीं किया है जबकि समस्त प्रपत्र जमानत प्रार्थना पत्र के साथ ही कथित विवेचक को उपलब्ध कराये गये थे और उसके उपरान्त विवेचक को दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के अनुसार अगर अभियोजन स्पष्ट रूप से अवैध परितोषण की मांग साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता एवं अवैध परितोषण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना न्यायहित में है और कथित प्रकरण में कोई कार्य अभियुक्त के समक्ष लम्बित न होने के कारण किसी अवैध धन के मांगने या प्राप्त करने का कोई औचित्य नही है और उसकी नामजदगी पूर्व की शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर की गयी है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दाखिल उन्मोचित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उसको उक्त आरोपों से उन्मोचित किया जाये।

3. विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उन्मोचन के संबंध में जो आधार लिये गये है वे साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित है, जिसके संबंध में विचार साक्ष्य अंकित होने के उपरांत ही किया जा सकता है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाये तथा प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाये।

4. अभियुक्त के द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में लिये गये आधारों पर विचार किये जाने से पूर्व अभियोजन मामले का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार दिनांक 09.09.2024 को शिकायतकर्ता ठाकुर चन्द्रबोस के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना इकाई एन्टीकरप्शन सहारनपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थी ठाकुर चन्द्रबोस पुत्र श्री चरण सिंह ग्राम कसौली थाना चरथावल तहसील व जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी है। मेरे खेत के बगल में ग्राम समाज के खाद के गठठे जिनका खसरा संख्या 50 है, पर मेरे गांव के इन्द्रपाल पुत्र दाताराम व मनोज पुत्र इन्द्रपाल अवैध निर्माण कर रहे है। जिसकी शिकायत मैंने मौखिक रुप से लेखपाल पंकज को कई बार की मगर लेखपाल पंकज कोई भी कार्यवाही नही कर रहा है इसी संबंध मे मैंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी तहसील सदर जनपद मुजफ्फरनगर को दिनांक 05.09.2024 को लिखित रुप में दिया तो उप जिलाधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जांच के लिये कानूनगो/लेखपाल व एसएचओ चरथावल को आदेशित किया इसके बाद मैं लेखपाल पंकज से कार्यवाही हेतु मिला तो उन्होंने कोई भी कार्यवाही करने से मना कर दिया और कहा कि अगर विपक्षी गणों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही कराना चाहते हो तो आपको पचास हजार रुपये रिश्वत मे देने पडेंगें। मैं रिपोर्ट लगाकर विपक्षी गणों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही करा दूंगा। मैंने कहा साहब मैं किसान आदमी हूं इतने पैसे एकदम नही दे पाऊंगा तो लेखपाल पंकज ने कहा कि विपक्षी गणों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही करानी है तो दिनांक 11.09.2024 को दस हजार रुपये लेकर मेरे कार्यालय आ जाना बाकी रुपये मुकदमा लिखा जाने के बाद दे देना। मैं ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रीट्रैप जांच निरीक्षक कुशलवीर सिंह से कराये जाने के उपरान्त प्रकरण ट्रैप योग्य होना पाया गया एवं भ्र०नि० संगठन लखनऊ के द्वारा दिनांक 10.09.2024 को जसपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से रजत सूर्या पुत्र स्व० कमल सिंह सम्प्रति कनिष्ठ सहायक ARTO कार्यालय मुजफ्फरनगर एवं आमीर वहदाद पुत्र स्व० लईक अहमद सम्प्रति कनिष्ठ सहायक ARTO कार्यालय मुजफ्फरनगर को स्वतन्त्र साक्षीगण के रूप में लिया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा दिये जाने वाले 500–500 के 20 नोट कुल 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये) के नम्बर नोट करके आरक्षी सुशील कुमार से फिनाफ्थलीन पाउडर लगवाकर ट्रीट किया गया। ट्रीटेड किये गये उपचारित नोटों को शिकायतकर्ता को इस निर्देश के साथ दिये गये कि वह अभियुक्त के द्वारा उत्कोच के रूप में इन्हीं नोटों को देगा। फर्द प्रदर्शन की कार्यवाही के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी। नोटों को ट्रीटेड करने वाले आरक्षी एवं शिकायतकर्ता के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाकर उनके घोल को कांच की शीशी में अलग–अलग भरकर सील सर्वे मोहर किया गया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता के द्वारा अभियुक्त लेखपाल से मोबाईल पर वार्ता की गयी तो लेखपाल ने कहा कि कार्यालय में ही आ जाओ। इसके पश्चात समस्त ट्रैप टीम, शिकायतकर्ता तथा स्वतन्त्र गवाहान की आपस में जामातलाशी ली गयी कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। कुछ समय उपरान्त शिकायतकर्ता के अभियुक्त के कार्यालय में पहुंचने पर वार्ता उपरान्त शिकायतकर्ता से 10,000/–रुपये रुपये उत्कोच के बारे में पूछा जिस पर शिकायतकर्ता ने अपनी पहनी पैन्ट की जेब से निकालकर 10,000/–रुपये अभियुक्त को दिये। उक्त सभी वार्ता एवं लेन–देन को टीम प्रभारी, ट्रैप टीम सदस्य एवं स्वतन्त्र गवाहों के द्वारा

सुना व देखा गया तथा अभियुक्त को अपना परिचय देते हुये 11.40 बजे पकड़ लिया गया। मौके पर शोर–शराबा होने के कारण अभियुक्त को थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर ले जाकर फर्द बरामदगी तैयार की गयी जिस पर सभी ट्रैप टीम के सदस्य तथा शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये। नोटों की बरामदगी के उपरान्त शिकायतकर्ता, अभियुक्त एवं ट्रैप टीम प्रभारी के हाथों को तैयार कराये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया, जिसके उपरान्त तैयार गुलाबी रंग के धोवन को अलग–अलग शीशियों में भरवाकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्त की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है लेकिन केस डायरी पर उपलब्ध विवेचक तथा शिकायतकर्ता के बयानों से अभियुक्त के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के तथ्यों की पुष्टि होती है। मौके पर तैयार किये गये घोल से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद की रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या–29 क के रूप में संलग्न है जिसमें बरामद किये गये नोटों तथा शीशियों में सील किये गये घोल में सोडियम कार्बोनेट एवं फिनाफ्थलीन पाउडर के अंश पाये जाने की पुष्टि हुयी है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा रिश्वत मांगने तथा प्राप्त करने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उसके विरुद्ध बिना किसी साक्ष्य के आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि निकिता शर्मा, उपजिलाधिकारी–सदर, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रदत्त की गयी अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांक 05 नवम्बर, 2024 भी पत्रावली पर कागज सं०–30 क के रूप में संलग्न है, जिसके उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आरोप के सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं है जिससे कि इस पर कोई संदेह किया जाये एवं आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **हजरत दीन बनाम उ0प्र0 राज्य ए० आई0आर0 2022 एस0सी0 94** में यह मत व्यक्त किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार किये जाते समय केस डायरी तथा अंकित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार नहीं कर सकता है। **बिहारी लाल बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 2019, एस0सी0 180** में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है। **राज्य बनाम दुरई स्वामी ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 480** में यह मत व्यक्त किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के परीक्षण को आधार नहीं बना सकता। **गुलाम हसन बेग बनाम मौहम्मद मकबूल मगरे ए0आई0आर0 2022 एस0सी0 631** में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय संक्षिप्त विचारण की तरह प्रक्रिया नहीं अपना सकती। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में जो उपरोक्त आधार लिये गये है ,वे मुख्य रूप से साक्ष्य की विश्वसीनयता की विषय वस्तु है, जिनके आधारों पर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मा० उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाधी (2003) 2 एस.सी.सी.711** में यह मत व्यक्त किया गया है कि आरोप के स्तर पर प्रतिरक्षा की साक्ष्य तथा तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता है। केस ड़ायरी में उपलब्ध साक्ष्य को सत्य मानकर निष्कर्ष लिया जाना है। इस प्रकार विवेचना के दौरान केस डायरी में अंकित की गयी साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा उत्कोच की मांग करने तथा उत्कोच के रूपयों की बरामदगी की पुष्टि होने के कारण उसके विरूद्ध आरोप बनाये जाने के लिए पर्याप्त आधार है। इसलिए यह नहीं कहा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये गये या मिथ्या रूप से उसका अभियोजन किया गया है जबकि अभियुक्त को उसी स्थिति में उन्मोचित किया जा सकता है कि जब अभियुक्त के विरूद्ध लगाये

गये आरोप निराधार हो। इसलिए अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त ना होने के कारण यह प्रार्थना पत्र 38 क निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पंकज कुमार धीमान की ओर से उसको उन्मोचित किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 38 क निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बनाये जाने आरोप दिनांक 14.05.2025 को पेश हो। अभियुक्त आरोप बनाये जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांकः 07.05.2025

(ओम प्रकाश–IX)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण(V.B.U.P.S.E.B.),
मेरठ।

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2025.05.07 17:26:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut